न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 228/2025 (GCMS : 2025/418)

रणजीत सिंह पुत्र चणन सिंह उम्र 72 वर्ष निवासी चक 3 बी डी ढाणी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **मनप्रीत सिंह** पुत्र बलविन्द्र सिंह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
2. **आज्ञाकार सिंह** पुत्र चणन सिह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
3. **कुलदीप सिंह** पुत्र हरबंश सिंह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
4. **गुरप्रीत सिंह** पुत्र बलविन्द्र सिंह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
5. **जगतार सिंह** पुत्र पूर्ण सिंह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
6. **मुखत्यार सिंह** पुत्र पूर्ण सिंह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
7. **मनजीत कौर** पत्नी बलविन्द्र सिंह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
8. **सर्वजीत कौर** पत्नी पूर्ण सिह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
9. **इन्द्राज** पुत्र बहादर सिंह निवासी चक 3 बी.डी. ढाणी तहसील रावला, श्रीगंगानगर
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये **उपखण्ड अधिकारी,** घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अमनदीप सिंह उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **अप्रार्थी के अधिवक्ता ने** यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 16/2025 अनवान् इन्द्राज बनाम आज्ञाकार सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर